न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 55ए/2016

1. श्री भगवानसिंह पुत्र स्व. श्री हीरालाल उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर
2. श्री पन्नालाल पुत्र स्व. श्री हांसा राम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर
3. श्री रामरतन गैना पुत्र स्व.श्री हांसा राम उम्र 67 वर्ष जाति जाट निवासी जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

..... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 92 एंव 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री रामरतन गैना – वादी संख्या 3 एंव अभिभाषक वादीगण
श्री किशनाराम चौधरी – राजकीय पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 07.06.19

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र दिनांक 02.09.2016 को अन्तर्गत धारा 88,89,188 एंव 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन में वादीगण के पिता स्व. श्री हांसा राम पुत्र शोलाल जाति जाट की कृषि आराजी अवस्थित खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किंग जमाबदीं का न. 1607 का नया नम्बर 3055 एंव खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किंग नम्बर 1608 हाल नया नम्बर 3040 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से काबिज काश्तकार चले आ रहे है। स्व. हीरालाल जी के स्वर्गवास के पश्चात ादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 में स्पष्ट प्रावधान है कि काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व तथा पश्चात तत्समय के प्रचलित राजस्व कानूनों एंव अध्यादेशों के अनुसार एक बार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के उपरान्त उन्हें बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एंव बिना सुनवाई के उनकी खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है। वादीगण के पिताजी हांसा वल्द शोलाल के नाम जमाबदीं खतौनी सम्वत 2020 से 2023 बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है उस आधार पर तत्पश्चात

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Scanned by CamScanner

बनने वाली जमाबंदी इन्द्राज करने चाहिये थे जो नहीं कर कानूनी भूल की है । समय समय पर वादीगण द्वारा विभिन्न राजस्व अभियान में प्रार्थना पत्र पेश कर पुनः खातेदारी बहाल की प्रार्थना की गयी। अन्तिम प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2016 कैम्प प्रभारी के समय प्रस्तुत किया लेकिन कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ । जिससे वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अतः वादपत्र स्वीकार फरमाकर विवादित आराजीयात पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। सरकार पेरोकार द्वारा जवाब सरकार दिनांक 09.06.17 को पेश किया गया । दिनांक 06.09.17 को तनकी कायम की गयी।

तनकी संख्या 1 – आया कि वादीगण खसरा संख्या पुराना 1464 साबिक नंबर 1607, का नया नम्बर 3040 एंव खसरा संख्या पुराना 1465 साबिक नंबर 1608 हाल नया नबंर 3055 पर खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।

..... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 2 – आया कि वादीगण , प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

..... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 3 – आया कि वादीगण खसरा संख्या पुराना 1464 साबिक नंबर 1607, का नया नम्बर 3040 एंव खसरा संख्या पुराना 1465 साबिक नंबर 1608 हाल नया नबंर 3055 पर खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी नहीं है।

..... जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 4 – आया कि वादीगण , प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

..... जिम्मे प्रतिवादी

दिनांक 06.12.17 को वादी साक्ष्य पेश किये। वादी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबदीं सवंत 2020 से 2023, प्रदर्श 2 गिरदावरी सवंत 2020–23 , प्रदर्श 3 गिरदावरी सवंत 2025–28, प्रदर्श 4 गिरदावरी सवंत 2035–37, प्रदर्श 5 गिरदावरी सवंत 2040–42, प्रदर्श 6 गिरदावरी सवंत 2043–46, प्रदर्श 7 केम्प प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.16, प्रदर्श 8 नोटिस अन्तर्गत धारा 80 को शामिल किया । वादीगण अभिभाषक ने दिनांक 28.05.19 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 व्य. प्रक्रिया संहिता वास्ते वाद पत्र संशोधन करने बाबत पेश कर खसरा नम्बरों में संशोधन हेतु निवेदन किया । जो कि स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया । वादी अभिभाषक ने दिनांक 07.06.19 को संशोधित वादपत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी साक्ष्य से प्रतिवादी को जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद सरकार पेरोकार ने लिखित बहस पेश की। अन्तिम बहस आज दिनांक 07.06.19 को सुनी गयी। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 1 – आया कि वादीगण खसरा संख्या पुराना 1464 साबिक नंबर 1607, का नया नम्बर 3040 एंव खसरा संख्या पुराना 1465 साबिक नंबर 1608 हाल नया नबंर 3055 पर खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व किये जाने का भार वादीगण पर रहा। जिसमें वादीगण अभिभाषक ने प्रदर्श 1 मे सवंत 2020–23 ग्राम जेठाना की जमाबदीं पेश की जिसमें कालम संख्या 5 में हांसा वल्द शोलाल का नाम है । प्रदर्श संख्या 2 में गिरदावरी सवंत 2021 से 2024 ग्राम जेठाना की पेश की जिसमें में कॉलम नम्बर संख्या 6 में हांसा वल्द शोलाल का नाम है। कॉलम संख्या 41 में हीरा/हांसा का उल्लेख है। प्रदर्श संख्या 3 में गिरदावरी सवंत 2025–28 ग्राम जेठाना की पेश की जिसमें कॉलम नम्बर 6 खाली है लेकिन 41 नम्बर हीरा/हांसा कृषक के रूप में काश्तकार उल्लेख है। प्रदर्श 4 में सवंत 2034–37 ग्राम जेठाना की गिरदावरी जिसमें कृषक का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श 5 में सवंत 2038–42 ग्राम जेठाना की गिरदावरी पेश की जिसमें भी कृषक का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श सख्या 6 में सवंत 2043–46 में भी काश्त का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श संख्या 7 में केम्प प्रभारी को नियमन का प्रार्थना पत्र का उल्लेख है एंव प्रदर्श 8 में 80 सी.पी.सी. का उल्लेख है। वादी अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के पक्ष में राजस्व वाद संख्या 03/1983 माननीय न्यायालय ए.सी.ई.एम. अजमेर के निर्णय की प्रति पेश की । साथ ही वादी अभिभाषक ने माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश एंव कार्यपालक दण्ड नायक अजमेर के मुकदमा संख्या 02/1983 एंव 03/1983 उनवान हीरालाल बनाम राजस्थान सरकार वगै के दोनों निर्णय दिनांक 14.12.87 वादपत्र के पक्ष में पेश किया । उक्त प्रकरण संख्या 03/1983 के निर्णय में जो 3252 का रकबा वादी के हक में निर्णित हुआ वो जमाबदीं में वर्णित प्रदर्श संख्या 1 के 3252 मिन के रकबे से मिलान नहीं खाने से यह निर्णय इस वाद से सुसंगत नहीं है। सरकार पेरोकार ने लिखित बहस में निवेदन किया कि कि वादी का उक्त विवादित आराजी पर कभी खातेदारी हक अधिकार नहीं रहा एंव न ही वर्तमान में वादी के खातेदारी में दर्ज है । केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी सिवायचक आराजी में किसी प्रकार से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी जमाबदीं संवत 2020–23 में अतिकमी गैरखातेदार रहा है जो उद्घोषणात्मक वाद का अधिकारी नहीं होता है। अतः वादी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र खारिज फरमावे। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पूर्ण पीठ द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक 30.08.2018 से स्पष्ट निर्देश है कि कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।

उक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी विरूद्व एंव प्रतिवादी के अनुकूल तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 – आया कि वादीगण , प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्व किये जाने का भार वादीगण पर रहा। चुंकि तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व एंव प्रतिवादी के अनुकूल तय हुयी जिससे इस तनकी के विवेचन की आवश्यकता नहीं है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्व एंव प्रतिवादी के अनूकूल तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 – आया कि वादीगण खसरा संख्या पुराना 1464 साबिक नंबर 1607, का नया नम्बर 3040 एंव खसरा संख्या पुराना 1465 साबिक नंबर 1608 हाल नया नबंर 3055 पर खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी नहीं है।

इस तनकी को सिद्व किये जाने का भार प्रतिवादी पर रहा । तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व एंव प्रतिवादी के अनूकूल तय होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 – आया कि वादीगण , प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

इस तनकी को सिद्व किये जाने का भार प्रतिवादी पर रहा । तनकी संख्या 1 , 2 व 3 वादी के विरूद्व एंव प्रतिवादी के अनूकूल तय होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी वार निष्कर्ष के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा हुं कि वादीगण को धारा 88,89,188 एंव 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम जेठाना की आराजी अवस्थित खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किंग जमाबदीं का न. 1607 का नया नम्बर 3055 एंव खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किंग नम्बर 1608 हाल नया नम्बर 3040 पर केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सिवायचक आराजी पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। दोनों पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करें। इसी आशय की डिक्री पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

07/08/19

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 55ए/2016

1. श्री भगवानसिंह पुत्र स्व. श्री हीरालाल उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर
2. श्री पन्नालाल पुत्र स्व. श्री हांसा राम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर
3. श्री रामरतन गैना पुत्र स्व.श्री हांसा राम उम्र 67 वर्ष जाति जाट निवासी जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

..... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 92 एंव 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री रामरतन गैना – वादी संख्या 3 एंव अभिभाषक वादीगण
श्री किशनाराम चौधरी – राजकीय पेरोकार

–: डिकी :– दिनांक 07.06.18

श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन व हाजिर श्री रामरतन गैना अभिभाषक मुद्दई एंव सरकार पेरोकार श्री किशनाराम चौधरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादीगण को धारा 88,89,188 एंव 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम जेठाना की आराजी अवस्थित खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किंग जमाबदीं का न. 1607 का नया नम्बर 3055 एंव खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किंग नम्बर 1608 हाल नया नम्बर 3040 पर केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सिवायचक आराजी पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.06.19 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2019.11.29 17:56:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: